बिहार राज्य भंडार निगम

बी–2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना–1

आवश्यक सूचना

बिहार राज्य भंडार निगम अन्तर्गत सचिव एवं उप महाप्रबंधक (व्यवसाय) के पद पर कार्य करने हेतु बिहार सरकार अन्तर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव/अपर समाहर्त्ता पद से सेवानिवृत्त तथा उप महाप्रबंधक (वित्त) हेतु राज्य कर उपायुक्त/संयुक्त आयुक्त एवं उच्च स्तर पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का पैनल निगम स्तर पर निर्माण कर उसी पैनल से निगम स्तरीय समिति के माध्यम से आवश्यकतानुसार संविदा पर नियोजन किया जाना है। अतएव बिहार राज्य भंडार निगम (पता– बी–2, प्रथम तल, मौर्यलोक, पटना–01) उपर्युक्त कोटि के पदाधिकारियों जिनकी आयु दिनांक 01.01.2023 को 62 वर्ष से कम हो, से पैनल निर्माण के लिए विहित प्रपत्र में पदवार आवेदन आनलाईन अथवा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित करता हैः–

क्र.	पदनाम	पद की संख्या	अनुभव –अहर्ता
1.	सचिव	01	बिहार सरकार अन्तर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव/अपर समाहर्त्ता के पद से सेवानिवृत्त। उक्त पद पर कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव।
2.	उप महाप्रबंधक (व्यवसाय),	01	बिहार सरकार अन्तर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव/अपर समाहर्त्ता के पद से सेवानिवृत्त। उक्त पद पर कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव।
3.	उप महाप्रबंधक (वित्त),	01	बिहार सरकार अन्तर्गत राज्य कर उपायुक्त/संयुक्त आयुक्त एवं उच्च स्तर पद से सेवानिवृत्त। उक्त पद पर कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव।

समाचार पत्रों में यह विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) कार्य दिवसों के अन्दर ऑनलाईन अथवा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से विहित प्रपत्र में उपर्युक्त पदवार आवेदन स्वीकार किये जाएगें। आवेदन भौतिक रूप से/हाथों–हाथ कार्यालय में प्राप्त नहीं किया जायेगा। एक अभ्यर्थी का एक पदविशेष हेतु आवेदन मान्य होगा। आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति एवं अनुभव तथा अन्य संबंधित कागजातों/प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक उत्तरदायी होंगे।

अर्हता एवं शर्तें निम्नवत् हैः–

1. **चयन का आधारः–** बिहार सराकर अन्तर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव/अपर समाहर्त्ता पद से सेवानिवृत्त तथा राज्य कर उपायुक्त/संयुक्त आयुक्त एवं उच्च स्तर पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी का चयन क्रमशः सचिव, उप महाप्रबंधक (व्यवसाय) तथा उप महाप्रबंधक (वित्त) पद के पैनल हेतु किया जायेगा।

2. **पैनलः–** पैनल बिल्कुल अस्थायी होगा एवं सम्प्रति इसकी वैधता एक वर्ष की होगी। आवश्यकतानुसार अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। पैनल का निर्माण निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा। आवेदक को साक्षात्कार निमित्त समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

3. **आयु सीमाः–** अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक 01.01.2023 के आधार पर की जायेगी। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 को 62 वर्ष से कम होना चाहिए।

4. **योग्यता एवं अनुभवः–**

   i. सचिव पद के लिए आवेदक बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त उप सचिव/अपर समाहर्त्ता स्तर के अधिकारी होंगे, तथा उक्त पद पर कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक होगा। एम.बी.ए./कम्पनी सचिव/विधि स्नात्तक योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जायेगी। एतदार्थ निगम प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

   ii. उप महा प्रबंधक (व्यवसाय) पद के लिए आवेदक सेवानिवृत्त उप सचिव/अपर समाहर्त्ता स्तर के अधिकारी होंगे, तथा उक्त पद पर कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक होगा। वाणिज्य/अर्थशास्त्र/चाटर्ड एकाउन्टेंट/एम.बी.ए. (व्यवसाय)/ सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान में पांच वर्ष का व्यापार कार्य अनुभवधारक को प्राथमिकता दी जायेगी। एतदार्थ निगम प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

   iii. उप महा प्रबंधक (वित्त) पद के लिए आवेदक सेवानिवृत्त राज्य कर उपायुक्त/संयुक्त आयुक्त एवं उच्च स्तर के अधिकारी होंगे। उक्त पद पर कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक होगा। वाणिज्य/अर्थशास्त्र/चाटर्ड एकाउन्टेंट/एम.बी.ए. (वित्त)/ सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान में पांच वर्ष का लेखा/अंकेक्षण कार्य अनुभवधारक को प्राथमिकता दी जायेगी। एतदार्थ निगम प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

5. **संविदाः–** निर्मित पैनल से आवश्यकतानुसार संविदा पर कार्य करने के लिए निगम के समिति द्वारा अनुशंसित सुयोग्य पदाधिकारी से अनुबंध किया जायेगा। संविदा आधारित नियोजन बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक 10.07.2015 एवं संबंधित अनुवर्ती परिपत्र/निदेश के आलोक में किया जायेगा। प्रबंध निदेशक / सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी एवं सम्यक निर्णय लिया जायेगा।

6. **मानदेयः–** संविदा आधारित नियोजनोपरांत मानदेय का भुगतान बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक 10.07.2015 के आलोक में किया जायेगा। संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मँहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मँहगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान होता रहेगा।

   सेवानिवृत्त एवं संविदा नियोजन के बीच वेतन / पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

7. सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक को पी.पी.ओ. की प्रति अनिवार्यतः समर्पित करना होगा।
8. सेवानिवृत्त आवेदक को अन्तिम पदस्थापन संस्थान से निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
9. पैनल में सम्मिलित होने हेतु संबंधित आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा।
10. निर्मित पैनल से संविदा पर नियोजित पदाधिकारी को सरकारी सेवकों की सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।
11. निर्मित पैनल से नियोजित पदाधिकारी को सरकारी सेवकों को देय सुविधायें अनुमान्य नहीं होगा।
12. वैसे आवेदक जिनपर कोई निगरानी का मामला / विभागीय कार्यवाही / गंभीर आरोप विचाराधीन / दण्डअध्यारोपित हो / अपराधिक मामला दर्ज हों का चयन पैनल में नहीं किया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र उन्हें समर्पित करना होगा।

13. निर्मित पैनल से संविदा पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे।

14. संविदा पर नियोजन के उपरांत यदि नियोजित पदाधिकारी का अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

15. आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति एवं अन्य संबंधित कागजातों/प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16. पूर्ण आवेदन यथावश्यक अभिलेखों के साथ समाचार पत्रों में यह विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) कार्य दिवसों के अन्दर ही स्वीकार होगा।

17. निर्मित पैनल के आधार पर चयन समिति द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित सुयोग्य पदाधिकारी को उनके द्वारा समर्पित कागजात/अभिलेखों के सत्यापन आदि हेतु अलग से सूचना दी जायेगी।

18. निर्मित पैनल में किसी भी प्रकार का विवाद/शिकायत पर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम/सक्षम प्राधिकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

19. बिना कारण बताये प्रकाशित सूचना में किसी भी प्रकार का संशोधन करने/इसे स्थगित करने एवं रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा जो अन्तिम एवं मान्य होगा।

प्रबंध निदेशक